नॉन-रिपोर्टेबल

**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

**आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार**

आपराधिक अपीलीय संख्या 1965/2010

(S.L.P. से अनुप्रेषित (आपराधिक) की संख्या 5386/2010)

राम रतन ....अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य ....प्रत्यर्थी

**<u>निर्णय</u>**

**आफताब आलम, न्यायाधिपति**

1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया ।

2. अनुमति अनुदत्त गई।

3. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसे अपीलार्थी की अपील (2006 की आपराधिक अपील संख्या 1139) में विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध दिए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से पारित विद्वान गया था।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कोटा ने सेशन केस संख्या 89/2006 में अपने निर्णय और आदेश दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 और 324 के अधीन अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे धारा 307 के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास और Rs.500 के जुर्माने (चूक की स्थिति में 1 माह के साधारण कारावास), धारा 326 के अधीन 5 वर्ष के कारावास और Rs.500 के जुर्माने (चूक की स्थिति में 1 माह के साधारण कारावास) और दंड संहिता की धारा 324 के अधीन एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं।

5. उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त आदेश द्वारा अपील का निस्तारण किया जो पेपर बुक में चार पृष्ठों और कुछ पंक्तियों से अधिक नहीं है। पहले आधे पृष्ठ पर उच्च न्यायालय ने उन धाराओं का उल्लेख किया जिनके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था और संबंधित अपराधों के लिए उसे दी गई सजा का उल्लेख किया। इसके बाद, इसमें बहुत संक्षेप में अभियोजन पक्ष के मामले और पुलिस द्वारा पेश किये गए आरोप पत्र के बारे में बताया। इसके बाद उन धाराओं को दोहराया गया जिनके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था और विचरण न्यायालय द्वारा उन धाराओं के तहत उसे दी गई संबंधित सजाएं बताई गईं। अगले पैराग्राफ में, इसने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उसके बाद की

दो पंक्तियों में, लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रस्तुतियों को अस्पष्ट रूप से बताया। इसके बाद न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किया जाता है, जो सभी छह पंक्तियों के तहत हैः

"मैं, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि यह उसका पहला अपराध है और वह आदतन अपराधी नहीं है, मुझे लगता है कि शेष निर्णय को बरकरार रखते हुए 7 साल के कठोर कारावास के स्थान पर 6 साल के कठोर कारावास का आदेश देना उचित है।"

6. उपरोक्त के बाद, निर्णय जेल अधिकारियों को दिए गए इस निर्देश के साथ समाप्त होता है कि अपीलकर्ता को जेल में उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 432 का लाभ दिया जाना चाहिए।

7. हमें उच्च न्यायालय को यह याद दिलाने में खेद है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत अपील तथ्यों और कानून दोनों पर है, और अपील की सुनवाई करने वाला उच्च न्यायालय तथ्यों की अंतिम अदालत है। इसे हल्के में रखने के लिए, उच्च न्यायालय अपीलार्थी की अपील का निपटारा करने में ऊपर देखे गए तरीके के कारण अधिक लापरवाह था।

8. हम यहां यह जाँच सकते है कि यधपि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई अपील राज्य द्वारा नहीं की गई है, राजस्थान राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री इरशाद अहमद ने उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के

खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में नहीं रखने के तरीके की समान रूप से आलोचना की थी।

9. उपर्युक्त कारणों से हम मामले में हस्तक्षेप करने के लिए विवश हैं। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की अपील (2006 की एकल न्यायाधीश दाण्डिक अपीलीय संख्या 1139) को विधि के अनुसार नई सुनवाई और निर्णय के लिए पुनर्स्थापित किया जाता है।

10. यह आशा और अपेक्षा की जाती है कि उच्च न्यायालय अंततः बिना किसी अनुचित देरी के और अधिमानतः इस वर्ष के अंत तक अपील की सुनवाई करेगा और उसका निस्तारण करेगा। यदि किसी कारण से अपील का निस्तारण इस वर्ष के अंत तक नहीं हो पता है तो अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वत्रंत होगा।

11. परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

**न्यायाधिपति (आफताब आलम)**

**न्यायाधिपति (आर.एम. लोढ़ा)**

नई दिल्ली,

8 अक्टूबर, 2010

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।